न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ (जयपुर)

मुकदमा नम्बर 2/2021 दायर दिनांक 4.1.2021

जयनारायण पुत्र सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रांयावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रांयावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी
2. रामकल्याण पुत्र स्वं. प्रभूदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम रायांवाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी
3. जगदीश पुत्र स्वं. प्रभूदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम रायांवाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी
4. भागीरथ पुत्र स्वं. प्रभूदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम रायांवाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी
5. भरत पुत्र स्वं. प्रभूदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम रायांवाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट वकील वादी
श्री किशनलाल बेरवा एडवोकेट वकील प्रतिवादी
(अन्तगर्त धारा 53 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

दिनांक

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने जरिये वकील दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम रांयावाला पटवारी मण्डल थली तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 111, 112, 148, 153, 216, 37 कुल रकबा 3.1900 हैक्टीयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगणो का संयुक्त खातेदार है । जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है । अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तकास्मा डिक्री मौके पर सरस नरस व कब्जे अनुसार कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादी के 1/3 हिस्सा अनुसार विधिक बंटवारा करवाया जावे तथा इसी अनुसार वादी का पृथक खाता कायम किया जाकर नक्शा तरमीम किया इसी अनुसार वादी का पर्चा लगान अलग से कायम करवाया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण की सुनवाई की गई प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री किशनलाल बेरवा एडवोकेट जवाब दावा पेश किया । वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि समस्त भूमियो का अच्छी मे से अच्छी और बुरी मे से बुरी सभी पक्षकरान के हिस्से अनुसार सरस नरस के आधार पर विधिक बंटवारा किया जाता है तो मिन उत्तरादाता को कोई आपत्ती नहीं परन्तु खसरा नम्बर 112 पर बदनियती पूर्वक वादी मौके की भूमि रोड लगवा भूमि पर स्वंय कब्जा करना चाहता है जो अनुपातकि रूप से सडक से लगती भूमि सभी पक्षकारो को दी जानी चाहिये । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर वाद मे दिनांक 26.6.2021 को प्राथमिक डिक्री आदेश किये गये । तथा तहसीलदार से कुर्रेजात के प्रस्ताव तैयार कर मंगवाये गये । तहसीलदार से कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 21.9.21 को प्राप्त हुये । वकील प्रतिवादी ने दिनांक 27.9.2021 को कुर्रेजात आपत्ती प्रस्तुत की जिसकी प्रति वकील वादी को

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

दिलाई गई । वकील वादी ने कुर्रेजात आपत्ती का जवाब दिनाक 10.2.22 को पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दिलाई गई

वकील उभय पक्ष की कुर्रेजात आपत्ती पर बहस सुनी गई । वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कुर्रेजात आपत्ती मे अंकित तथ्यो की ताईद करते हुये निवेदन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट निरस्त कर तहसीलदार जमवारामगढ हाल तहसील आंधी को आदेश दिया जावे कि वे स्वंय मौके पर जाकर सभी पक्षो की सहमति तथा उपस्थिति में पुनः कुर्रेजात सही रूप से बनाकर भिजवावे एवं प्रार्थना पत्र में दर्ज आपतियो को ध्यान मे रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किया जावें ।

वकील वादी ने कुर्रेजात आपत्ती का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट माननीय न्यायालय के निर्णय व डिकी अनुसार ही तैयार की गई अतः ऐतराज कुर्रेजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के वाद मे चाहे गये अनुतोष अनुसार प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 9.9.21 अनुसार अन्तिम डिकी जार कर दी जावें

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने तथा तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात पर मनन करने पर हम कुर्रेजात आपत्ती प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी खारिज कर वाद मे अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते हे । अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात आपत्ती प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी खारिज किया जाता है

पत्रावली का अधोपान अवलोकन किया गया । भूमिधारी तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, भूमिधारी तहसीलदान ने बटवारा खातेदारो के राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार किया है । बहस उभय पक्ष कुर्रेजात सुनने व कुर्रेजात का अवलोकन करने पर वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रांयावाला पटवारी मण्डल थली तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 111, 112, 148, 153, 216, 37 कुल रकबा 3.1900 हैक्टीयर भूमि का विधिवत कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुये सरस नरस अनुसार वादी एवं प्रतिवादीण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार विभाजन किया जाता है उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है ।

मुताबिक जमाबन्दी इन्द्राज

क्र. सं.	ग्राम	खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	रांयावाला	जगदीश पुत्र प्रभूदयाल हि. 1/12राहिन हि.1/12 सिंडीकेट बैक आंधी ,जयनारायण पुत्र सुखपाल हि. 1/3 राहिन हि. 1/3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आंधी ,भरतलाल ,भागीरथ पुत्र प्रभूदयाल हि. 1/6 राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा आंधी रामकरण पुत्र सुखपाल हि. 1/3 राहिन सिंडिकेट बैंक शाख आंधी , रामकल्याण पुत्र प्रभूदयाल हि. 1/12 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाख आंधी जाति मीना सा. देह खातेदार	111 112 148 153 216 37 कुल किता 6	0.01 1.84 0.26 0.63 012 0.33 कुल रकबा 3.19	गै.चाह चाही2 चाही ए चाही ए नहरी1 चाही 2

क.सं.	विभाजन के बाद नवीनखातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	जगदीश,भरतलाल भागीरथ पि. प्रभूदयाल राहिन सिंडीकेट बैंक ऑधी रामकल्याण पुत्र प्रभूदयाल राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाख आंधी जाति मीना सा.देह खातेदार	216 37/3 153/2 112/5 112/7 112/9 कुल किता 6	0.12 0.07 0.26 0.25 0.10 0.25 कुल रकबा 1.05	नहरी चाही 2 चाही ए चाही 2 चाही2 चाही 2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

2	जयनारायण पुत्र सुखपाल राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाख आंधी जाति मीना सा.देह खातेदार	37/2 153/3 153/1 112/2 112/3 112/10 कुल किता 6	0.07 0.07 0.30 0.13 0.20 0.28 कुल रकबा 1.05	चाही 2 चाही ए चाही ए चाही 2 चाही 2 चाही 2
3	रामकरण पुत्र सुखपाल राहिन सिंडिकेट बैक आंधी जाति मीना सा. देह खातेदार	0.26 0.19 0.25 0.15 0.20 कुल किता 5	चाही ए चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2 कुल रकबा 1.05	चाही ए चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2
4	जगदीश भरतलाल ,भागरीथ पि. प्रभू दयाल हि. 1/4 राहिन सिंडीकेट बैंक आंधी , रामकल्याण पुत्र प्रभूदयाल हि. 1/12 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाख आंधी , जयनारायण पुत्र सुखपाल हि. 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आंधी रामकरण पुत्र सुखपाल हि. 1/3 राहिन सिंडिकेट बैंक आंधी जाति मीना सा.देह खातेदार	111 112/6	0.01 0.03 कुल किता 2	गै.मु.चाह चाही 2

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड मे अलग–अलग खाते दर्ज अंकित किये जावे , नक्शे में विभाजन व संलग्न प्रस्तावित नक्शानुसार नम्बर/अंकन कायम किया जावे । साथ ही वादी व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करे । नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया । वाद में अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो । आदेश की प्रति /तहरीर तहसीलदार आंधी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णण आज दिनांक 14.2.2022को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ़